

**(2) जागरुकता अभियान ।**

**उद्देश्य** विकलांगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं व “व्यक्ति जिन में अक्षमताएं हैं” अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार। राज्य स्तर पर विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए बाधा रहित वातावरण के निर्माण व प्रशिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।

**पात्रता** विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं/विकलांग संघ/विकलांगजन व साधारण जनमानस हेतु विभाग द्वारा जागरुकता कैंम्पों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

**सम्पर्क-अधिकारी** जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।